भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या 429
गुरुवार, 08 दिसंबर, 2022 / 17 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

अमरेली विमानपत्तन पर सुविधाएं

429. श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाईअड्डे की रनवे लंबाई कम होने और हवाईअड्डे पर यात्रियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं की कमी के कारण विमान कंपनियों को देश में विशेषकर गुजरात के अमरेली जिले में यात्री विमान सेवाएं संचालित करने की अनुमति नहीं मिल पा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का उक्त रनवे की लंबाई बढ़ाने और यात्रियों को अन्य सुविधाएं प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त))

(क) और (ख): गुजरात में अवस्थित अमरेली हवाईअड्डा, गुजरात राज्य सरकार के स्वामित्व में है। यह हवाईअड्डा, बोली के लिए, उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना दस्तावेज में अपरिचालित हवाईअड्डों की सूची में उपलब्ध है। हालांकि, किसी भी एयरलाइन बोलीदाता ने इस हवाईअड्डे से उड़ान योजना के अंतर्गत, उड़ानों के प्रचालन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। यदि कोई एयरलाइन अमरेली हवाईअड्डे को जोड़ने के लिए वैध बोली प्रस्तुत करती है, तो उस पर उड़ान योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा।

उड़ान योजना में दिए प्रावधानों के अनुसार, अपरिचालित या अल्पपरिचालित हवाईअड्डों का जीर्णोद्धार/स्तरोन्नयन, वैध बोली के माध्यम से इन्हें चिन्हित एवं एसएओ (चयनित एयरलाइन प्रचालक) को अवार्ड किए जाने पर किया जाएगा।